संख्या-75/2024/1461/22-2-2023-17(1145)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गंगा पुत्र श्री हरफूल, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2376/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.12.2022), दिनांक-24.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गंगा पुत्र हरफूल, ग्राम-ओखन्द, थाना-डिबाई, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। अवैध सम्बन्ध के विरोध की रंजिश को लेकर दिनांक 24/25-05-2004 को बन्दी ने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों व तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-625/2004 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या-20, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 30-06-2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक 30-11-2022 तक बन्दी की आयु 39 वर्ष, 04 माह, 15 दिन है। बन्दी द्वारा 30-11-2022 तक 16 वर्ष, 09 माह की अपरिहार तथा 21 वर्ष, 04 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी जा चुकी है।

जिला प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, दोनो पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं होने, बन्दी को कारागार में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्राबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अवैध सम्बन्ध के विरोध की रंजिश को लेकर 24/25-05-2004 को बन्दी द्वारा 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों व तमंचों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्राबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गंगा पुत्र हरफूल को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गंगा (बन्दी संख्या-13213) पुत्र हरफूल, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्राबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुये शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

मदन मोहन

विशेष सचिव

संख्या-75/2024/1461/22-2-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।

3- निजी सचिव मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री की को सूचनार्थ

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-75/2024/1461/22-2-2023-17(1145)/2023

दिनांक 06 अगस्त, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गंगा पुत्र हरफूल, ग्राम-ओखन्द, थाना-डिबाई, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। अवैध सम्बन्ध के विरोध की रंजिश को लेकर दिनांक 24/25-05-2004 को बन्दी ने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों व तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-625/2004 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या-20, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 30-06-2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक 30-11-2022 तक बन्दी की आयु 39 वर्ष, 04 माह, 15 दिन है। बन्दी द्वारा 30-11-2022 तक 16 वर्ष, 09 माह की अपरिहार तथा 21 वर्ष, 04 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी जा चुकी है।

जिला प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, दोनो पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं होने, बन्दी को कारागार में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अवैध सम्बन्ध के विरोध की रंजिश को लेकर 24/25-05-2004 को बन्दी द्वारा 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों व तमंचों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्राबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गंगा पुत्र हरफूल को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।